खबर संक्षेप

समाजसेवियों ने यात्रियों की सुविधा के लिए की मांग

शहडोल। रेलवे प्रशासन से समाजसेवियों ने मांग की है कि रेलवे स्टेशन में साप्ताहिक सवारी गाडियों को शहडोल स्टेशन में 5 मिनट का स्टापेज दिया जाए, जिससे यात्रीगण सुलभ शीतल पेयजल सरलता से ले सकें। समाज सेवी शेखर ढण्ड, दुर्गा तांती इम्तियाज, शैलेन्द्र, विवेक मल्होत्रा, सत्य प्रकाश प्रभू, संतोष राव ने रेलवे प्रशासन से मांग कि यात्रियों के सुविधा चलते शहडोल स्टेशन से गुजरने वाली यात्री ट्रेनों का स्टापेज यहां पर 5 मिनट किया जाए, जिससे यात्रिगण पेयजल व अन्य सामग्री आसानी से ले सकें। उल्लेखनीय है कटनी से होकर बिलासपुर की ओर जाने वाली सवारी गाडियों व बिलासपुर से चलकर कटनी की ओर जाने वाली सवारी गाडियों के यात्रियों को इस भीषण गर्मी में पेयजल के कटनी व बिलासपुर के बाद शहडोल स्टेशन में ही शीतल पेयजल समाजसेवियों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। चूंकि सवारी गाडियों का प्लेटफार्म में स्टापेज का समय कम होने के कारण यात्रीगण शीतल पेयजल नही ले पाते, जिसके कारण उन्हें काफी परेशान होना पड़ रहा है।

लू से बचने के लिए मौसमी फलों का सेवन करें: सीएमएचओ

शहडोल। जिले में पिछले एक सप्ताह से वातावरण में लगातार परिवर्तन हो रहा है। प्रातः10 बजे से ही गर्म हवाएं चलने लगती हैं जिसके कारण लू लगने की आशंका बढ़ गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा ने आमजनों को लू से बचाव की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि लू से बचने के लिए जन सामान्य ज्यादा समय तक घर पर ही रहें। जिले में पिछले एक सप्ताह से तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। दिन में 10 बजे के बाद गर्म हवाओं का प्रकोप हो जाता है। आमजन अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलते समय पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। खाली पेट घर से बाहर न जायें। इससे लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। दिन में कम से कम 12 से 15 गिलास पानी जरूर पियें। लू से बचाव के लिए देशी घरेलू उपाय अपनाएं। बाहर निकलते समय सूती कपड़े से चेहरा और सर ढककर रखें तथा पानी साथ में जरूर रखें। पहनने के लिए सूती कपड़ों का अधिक उपयोग करें। लू से बचने के लिए खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, आदि मौसमी फलों का सेवन करें। बेल, सौफ, पोदीना, धनिया आदि के शर्बत तथा छांछ के उपयोग से भी लू से बचाव होता है। कच्चे आम के पने का भी उपयोग करें। अगर लू के लक्षण जैसे मिचली आने, गला सूखने तथा बुखार का प्रकोप होने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करके उचित उपचार करायें।

ब्लैक मंडे : पांच की सड़क दुर्घटना में तो एक की डूब कर हुई मौत

पिकअप पलटने से चार तो बोलेरो से एक की दर्दनाक मौत

दोनों हादसों में शादी से लौटते समय बारातियों की हुई मौत

सोमवार को तीन अलग-अलग हादसो मे 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई, पपौंध थाना अंतर्गत बारात से लौट रही एक बोलेरो टायर फटने से पलट गई और चालक की मौत हो गई, वहीं शाम करीब 5 बजे के आस-पास अनियंत्रित पिकअप जो बारातियों को लेकर लौट रही थी, उसके पलटने से चार की मौके पर मौत हो गई, इधर पपौंध थाना अंतर्गत ही 13 साल के बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई, 21 अप्रैल सोमवार का दिन ब्लैक संडे के रूप में सामने आया।

शहडोल।

जिले के अंतिम छोर पर स्थित पपौंध और देवलोंद थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार का दिन ब्लैक संडे साबित हुआ। अलग-अलग तीन घटनाओं में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई, वहीं गंभीर रूप से घायल करीब डेढ़ दर्जन लोगों में से कुछ अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं कुछ अस्पताल में भर्ती होकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तीन अलग-अलग घटनाओं

में दो सडक़ हादसे सामने आए, जिसमें क्रमशः चार और एक बोलेरो चालक की मौत हो गई, वहीं 13 साल के बच्चे की पानी में डूबने से मौत की खबर भी सामने आई। सोमवार का पूरा दिन थाना क्षेत्र के लिए कशमकश भरा रहा। देवलोंद थाना क्षेत्र में हुई घटना ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, जिसमें एक परिवार के चार आदिवासी समुदाय के लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं तीन से अधिक गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। जिनके बचने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है, बहरहाल पुलिस ने सभी मामलों को कायम कर, घायलों को अस्पताल पहुंचाया और विवेचना शुरू कर दी है।

दोनों ही मामलों में पीड़ित बाराती

पपौंध और देवलोंद थाना क्षेत्र अंतर्गत दो अलग-अलग हादसों में पांच लोगों की मौत की खबर देर शाम तक आई, दोनों ही हादसों में एक जैसी बात यह रही की बोलेरो और पिकअप में सवार लोग शादी समारोह संपन्न होने के बाद घर लौट रहे थे और हादसे का शिकार हो गए, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत की खबर देवलोंद थाना क्षेत्र से सामने आई, वहीं पपौंध थाना क्षेत्र में हुई घटना में बोलेरो का टायर फटने के बाद चालक की मौत हो गई।

दर्दनाक सडक हादसे में चालक की मौत

जिले के पपौंध थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सडक़ हादसा सामने आया, जहां देवदही से बारात लेकर लौट रही बोलेरो वाहन तिखवा सिरमत नाला स्कूल के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा उस समय हुआ जब वाहन का टायर अचानक फट गया, जिससे बोलेरो असंतुलित होकर सडक़ किनारे पलट गई, इस हादसे में बोलेरो चालक की मौके पर ही मौत हो गई ,जबकि तीन अन्य घायलो को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दुर्घटना में वाहन चला रहे शहीद उर्फ पिंटू खान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वाहन में सवार कुल आठ बाराती थे, जिनमें से रमेश साकेत, बाबूलाल साकेत और मोहन साकेत को गंभीर चोटें आई हैं। तीनों घायलों को तत्काल ब्यौहारी सिविल अस्पताल ले जाया गया।

देवलोंद हादसे में एक साथ 4 की उठी लाशें

देवलौंद थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार की शाम दर्दनाक सडक़ हादसे में बारातियों से भरी एक पिकअप वाहन पलट गई, दुर्घटना में चार बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। हादसा करौंदिया गड़ा रोड पर उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रही पिकअप से टकरा गई। टक्कर के बाद पिकअप असंतुलित होकर पलट गई। घटना में चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, मृतकों में राजभान बैगा, प्रेमलाल बैगा, शिवपूजन बैगा, गोरेलाल बैगा के नाम सामने आए हैं, वहीं कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पिकअप वाहन सांधा जिले के बहरा डोल के मझौली से बारात लेकर देवलोंद थाना क्षेत्र के करौंदिया गांव जा रही थी। बारात बैगा समाज के एक परिवार की थी। लौटते समय करौंदिया गड़ा रोड पर सामने से आ रही एक बाइक से पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह सडक़ किनारे पलट गया। घटना की जानकारी मिलते ही देवलोंद थाना प्रभारी डी.के. दहिया मौके पर पुलिस टीम के साथ पहुंचे। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल निकटवर्ती अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

13 वर्षीय बालक की डूबने से मौत

जिले के पपौंध थाना क्षेत्र के दलको कोठार गांव में स्थित एक तालाब में नहाते वक्त 13 वर्षीय बालक डूब गया जिससे उसकी मौत हो गई ,घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले पर सोमवार को मर्ग कायम किया है। पपौंध थाना क्षेत्र के दलको कोठार गांव में स्थित शंकर तालाब में 13 वर्षीय बालक अकेले ही सुबह नहाने चला गया, परिजनों को लगा कि वह आसपास कहीं खेल रहा होगा। जब शाम हो गई और बालक घर नहीं लौटा तब जाकर परिजनों ने उसकी तलाश की,

...तो शराब ठेकेदार का चाकर है आबकारी विभाग

शहडोल। शराब ठेकेदार मनमाने तरीके से अपनी दुकानें खोलने और शराब बेचने का काम कर रहे हैं। जयसिंहनगर में बस स्टैंड सहित सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वाले का बोलबाला बढ़ गया है और वे उत्पात मचाकर लोगों को परेशान करते हैं। देशी एवं अंग्रेजी शराब दुकान रात में बंद होने के निर्धारित समय के बाद भी खोली जा रही हैं। शराब की दुकान खुलने का समय सुबह 8.30 व 9.30 बजे से शराब बिक्री प्रारंभ करने की अनुमति है। जयसिंहनगर में संचालित देशी और अंग्रेजी शराब दुकान संचालित आबकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। दुकानों को समय अवधि खत्म होने के बाद भी दुकानों को संचालित कर रहे हैं, जिससे आए दिन लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा हो रही है। इसकी जानकारी आबकारी विभाग के अधिकारियों को है। बावजूद इसके

कार्रवाई को लेकर अनदेखी की जा रही है। जबकि रात में नगर की सडक़ों पर शराबी झूमते और गाली-गलौज करते हुए देखे जा सकते हैं। इन दिनों सभी समाज के शादी ब्याह समारोह सम्मेलन चल रहें हैं। सुबह से लेकर देर रात तक जयसिंहनगर शराब दुकान पर बाहरी लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसी स्थिति में शराबियों से रहवासियों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। वहीं रात के समय पुलिस गश्त करती है, लेकिन सांठ-गांठ होने के कारण पुलिस भी दुकानों को बंद नहीं कराती है।

हत्या के प्रयास के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में माननीय न्यायालय ने सुनाई सजा

शहडोल। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश ने थाना अमलाई के अपराध क्रमांक 102/17 विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 35/2017 शासन बनाम दीपू उर्फ दीपनारायण वगै0 में आरोपी पप्पू नापित पिता दुलारे नापित उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर थाना अमलाई को भादवि की धारा 307 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000रूपये के अर्थदण्ड से दंण्डित किया है। प्रकरण के अन्य आरोपी दीपू उर्फ दीपनारायण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है। वहीं एक अन्य आरोपी परमानंद उर्फ गोलू पनिका पिता साइमालाल पनिका उम्र 31 वर्ष फरार है। प्रकरण में एस.एल. कोष्टा उपसंचालक अभियोजन द्वारा पैरवी की गई।

यह है मामला - संभागीय जनसम्पर्क नवीन कुमार वर्मा ने प्रकरण के पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार बताया कि फरियादी अमरनाथ चौधरी थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 03 अप्रैल 2017 को शाम करीब 7-8 बजे वह अपने बड़े पिता के लडके संजय चौधरी के साथ धनी बैगा के घर में बैठ कर बातचीत कर रहा था, उसी समय संजय के मोबाईल में पप्पू नापित का फोन आया संजय चौधरी ने पप्पू से फोन पर बातचीत करके बोला कि पप्पू नापित उसे रामजतन की दुकान के पास बुला रहा है चलो चलते हैं। तब मैं और संजय चौधरी रामजतन गुप्ता की दुकान के पास आये तो पप्पू नापित संजय से बात किया उसी समय वहां गोलू और दीपू पंडित आ गए तब पप्पू नापित संजय से बोला कि पीछे चलकर बात करते हैं। तब दोनों प्यारेलाल साहू के घर के पीछे बाडी तरफ चल दिए पीछे से मैं भी चल दिया। पप्पू पैसो के लेन देन के लेकर संजय चौधरी से गाली-गलौच करने लगा, इसी बीच मेरे भाई का फोन आया गया तो मैं थोडी दूर जाकर अपने भाई से बात करने लगा, इसी बीच गोली चलने की आवाज आई, मैं भागते हुए गया संजय के पास पहुंचा, तब तक संजय गिर गया था, संजय के सीने में गोली लगी थी। संजय ने बताया कि पप्पू नापित गोली मार दिया है। पप्पू गोली मारने के बाद मौके से भाग गया। प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही पूर्ण होने के बाद अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से माननीय न्यायालय समक्ष मौखिक अंतिम तर्क प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्क एवं प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी को वर्धित दण्ड से दण्डित किया।

रेलवे क्रासिंग पर कफन बांध कर चल रही आवाजाही

न फाटक, न ओव्हर ब्रिज, रेलवे ट्रैक से गुजर रही स्टेट हाइवे

शहडोल। बुढ़ार से चचाई होकर अनूपपुर पहुंचने वाला स्टेट हाइवे मार्ग वर्षों से रेलवे क्रासिंग से गुजर रहा है, लेकिन इस पर न तो आज तक फाटक लगा और न ही ओवर ब्रिज बना। जिससे यहां की आवाजाही अत्यंत असुरक्षित है, कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। यह स्थल अमलाई इंद्रा नगर तिराहे से लगा हुआ है और इस रेल मार्ग से मालगाडियों की आवाजाही होती है। हाइवे का निर्माण होने के समय संबंधित विभाग के अधिकारियों ने भी हाइवे के नियमों का पालन नहीं किया और रास्ते के अवरोध को दूर करने के उपाय नहीं किए। हालात यह है कि यहां सडक़ चलती रहती है और उसी बीच मालगाडियां आ जातीं हैं। रेल प्रशासन ने भी यहां फाटक लगवाने के उपाय नहीं किए। यह स्थल काफी असुरक्षित और खतरनाक है। जनप्रतिनिधियों ने भी कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया और जनमानस को असुरक्षित अवस्था में छोड़ दिया गया है। इस रेल लाइन से ओपीएम व सोडा फैक्ट्री के लिए केवल मालगाडियों का संचालन होता है, लेकिन इनके संचालक भी चुप्पी साधे बैठे हैं। शायद सबको किसी बड़े हादसे का इंतजार है।

ओव्हर ब्रिज नहीं बना- बताया गया कि हाइवे के निर्माण का नियम है कि मार्ग के अवरोध को दूर कर आवाजाही को सुरक्षित बनाया जाए। इसके लिए मार्ग के पुल पुलियों का निर्माण कराया जाता है, रेलवे क्रासिंग पर रेलवे से अनुमति लेकर उस पर ओव्हर ब्रिज बना दिया जाता है, लेकिन स्टेट हाइवे ने इस प्रक्रिया को पूरी किए बिना रेलवे लाइन को छोडक़र इस पार और उस पार सडक़ बना कर छुट्टी पा ली। इस संबंध में यह माना जा सकता है कि यहां पर सडक़ निर्माण का कार्य अधूरा ही कराया गया है और वर्षों से उसी हाल में पड़ा है। इस बारे में जनप्रतिनिधि शासन से सवाल जवाब कर सकते हैं और यहां पर एहतियात के लिए निर्माण कार्य करा सकते हैं। जनमानस की मांग है कि यहां पर ओव्हर ब्रिज बनाया जाए।

फाटक क्यों नहीं लगा? - इस रेलवे लाइन पर सडक़ की क्रासिंग है इसलिए यहां से लोगों की चौबीसो घंटे आवाजाही चलती है, यहां पर अनिवार्य रूप से जनसुरक्षा को देखते हुए रेलवे की ओर से फाटक लगवाया जाना चाहिए था। लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद भी यहां फाटक की व्यवस्था नहीं की गई। इस संवेदनशील मामले में रेलवे की लापरवाही भी समझ के परे है। अगर कभी किसी मालगाड़ी की टक्कर से कोई गंभीर दुर्घटना हो जाए तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? यह कौन तय करेगा। कुछ वर्षों पूर्व यहां फाटक लगाए जाने के संबंध में चर्चा चली थी लेकिन आगे चलकर मामला ठण्डे बस्ते में चला गया। रेल प्रशासन यहां फाटक लगवाने और कर्मचारी तैनात करने के लिए शायद तैयार नहीं है।

ओपीएम व सोडा फैक्ट्री का माल- एक जानकारी के अनुसार इस रेलवे लाइन पर अन्य ट्रेनों की आवा जाही नहीं है, केवल ओरियंट पेपर मिल तथा जूट मिल का सामान परिवहन करने वाली मालगाडियों की ही आवा जाही होती है। यह गाडियां बुढ़ार तथा अमलाई स्टेशन की ओर से मिल अथवा फैक्ट्री तक जाकर सामान उतारतीं हैं और फिर लौट आतीं हैं। ज्ञातव्य है कि ओरियंट पेपर मिल व सोडा फैक्ट्री के संचालकों ने अपने माल का इंतजाम तो कर लिया लेकिन जनसुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया। वे चाहते तो स्वयं भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते थे। इस क्रासिंग पर या तो फाटक लगाकर मालगाडियों के निकलने के समय रास्ता बंद किया जाए या फिर ओव्हर ब्रिज का निर्माण कराकर सडक़ की आवाजाही को वहां से ले जाया जाए। यह जनसुरक्षा से संबंधित अत्यंत गंभीर मामला है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है।

ट्रेनों की आवाजाही नहीं- रेलवे का मानना है कि यहां से यात्री ट्रेनो या अन्य मालगाडियों का आनाजाना नहीं है, इसलिए यहां फाटक का इंतजाम करने की योजना रेलवे ने नहीं बनाई। लेकिन सवाल यह है कि रेलवे ने मिल और फैक्ट्री की सप्लाई का काम लेकर अपनी कमाई का इंतजाम तो कर लिया लेकिन जनसुरक्षा का प्रबंध करना उसने जरूरी नहीं समझा। यहां जिस तरह रेलवे लाइन का बंदोबस्त ओपीएम व सोडा फैक्ट्री ने किया उसी तरह उन्हे यहां फाटक के लिए भी सोचना चाहिए था। आज यहां हर रोज मौत मंडराती रहती है, किसी भी दिन कोई मालगाड़ी की चपेट में आ जाएगा और काल के गाल में समा जाएगा। किसी उद्योग व्यापार का संचालन करना उचित हो सकता है, लेकिन उससे पहले जान माल की सुरक्षा का इंतजाम किया जाना सर्वप्रथम अनिवार्य होता है।

खबर संक्षेप

बच्चों का चिन्हांकन कर कुपोषण से दिलाएं निजातः आयुक्त

शहडोल। आयुक्त श्रीमती सुरभि गुप्ता ने संभाग के तीनो जिलों के महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि चिन्हित कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों का रोस्टर बनाकर एनआरसी में भर्ती कराएं तथा उन्हें कुपोषण से मुक्ति दिलाए। आपने निर्देश दिए कि सभी ऑगनवाड़ी केंद्र नियमित रूप से समय पर खुले, गर्भवती माताओं एवं बच्चों का टीकाकरण कराया जाए, गर्भवती माताओं का पंजीयन कराया जाए तथा उन्हें टेक होम राशन का लाभ सुनिश्चित कराया जाए। इसी तरह बच्चों को समय पर नाश्ता तथा भोजन एवं रेडी टू-फूड का वितरण होना चाहिए। पर्यवेक्षक तथा विभाग के अन्य अधिकारी ऑगनवाड़ी केंद्रो का औचक निरीक्षण करें एवं पाई गई कमियों को दूर करें। स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आपस में समन्वय बनाकर काम करें जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर मे कमी लाई जा सकें।

अवैध शराब के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

कोतमा। थाना अंतर्गत पुलिस के द्वारा अवैध शराब से भरी ऑटो को जप्त करते हुए तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार करते हुए 34 (2) आबकारी एक्ट में केस दर्ज कर सलाखों के पीछे भेजा था। पांच पेटी बियर 60 लीटर कीमती लगभग 12 हजार की रही। मामले में आरोपी शेखर सिंह 25 वर्ष निवासी औरंगाबाद बिहार, दीपक गुप्ता बदरा एवं प्रकाश कोल को गिरफ्तार किया गया था। अनूपपुर जिला न्यायालय में जमानत की अर्जी लगाई गई थी लेकिन न्यायालय के द्वारा अपराध की गंभीरता सहित बड़ी मात्रा में शराब जप्ती एवं डायरी अवलोकन के बाद सभी आरोपियों की जमानत को खारिज कर दिया। विदित हो कि कोतमा पुलिस के द्वारा बंजारा तिराहे के पास शराब तस्करी करते ऑटो को घेराबंदी कर पांच पेटी अवैध शराब 60 लीटर को जप्त कर 3 शराब तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले में एक आरोपी शेखर सिंह जो बिहार से आकर नगर में अवैध शराब बिक्री कर रहा था।

घर में बिना बताए युवक हुआ लापता

कोतमा। कोतमा थाना अंतर्गत वार्ड 13 लहसूई कैंप में रहने वाले 28 वर्षीय युवक के घर से बिना बताए कहीं चले जाने पर परिजनों द्वारा सोमवार को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। पुलिस के द्वारा गुम इंसान कायम करते हुए लापता राम मनोज झरिया के तलाश में जुट गई है।बताया जाता है कि युवक दोपहर में बिना किसी को बताएं कहीं चला गया जिसके बाद परिजनों द्वारा पास पड़ोस रिश्तेदारी एवं अन्य संभावित जगह में पता तलाश किए जाने के बाद भी न मिलने पर थाने पहुंच सूचना दी।

किशोर के अपहरण की आशंका, मामला दर्ज

कोतमा। कोतमा कोयलांचल क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग लड़के एवं लड़कियों के अपहरण की आशंका को लेकर लगातार मामले सामने आते रहते हैं। पुलिस के द्वारा भी समय-समय पर सूचना तंत्र के माध्यम से प्रदेश सहित दूसरे से तलाश कर परिजनों को सुपुर्द करती है। नए मामले में रामनगर थाना अंतर्गत पुलिस ने निमहा गांव से अपने घर से बिना बताए चले गए 17 वर्षीय किशोर के अपहरण की आशंका पर परिजनों के द्वारा थाने में सूचना दर्ज कराई गई है। पुलिस ने परिजनों की सूचना पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 137(2) अपहरण की धारा कायम करते हुए तलाश में जुट गई है।

जल संरक्षण के किये जाएं बेहतर कार्यः आयुक्त

शहडोल। जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान है, सरकार की मंशा है कि अभियान को जन अभियान का स्वरूप दिया जाए। आम जनता,सरकार, जन-प्रतिनिधि एवं समाज के सभी वर्ग के लोग संयुक्त रूप से प्रयास करके अपने गांव की मिटटी, अपने गांव के जल तथा जल संरचनाओं, प्राकृतिक जल स्त्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन करें। संभाग के तीनों जिलो में शासन के निर्देशानुसार विभागवार कार्ययोजना बनाकर अमल में लाई जाए यह निर्देश आयुक्त श्रीमती सुरभि गुप्ता ने संभाग के तीनों जिलों में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए दिए।

जनमानस को किया जाए जागरूक

आयुक्त ने कहा कि नदियों का जीर्णोद्वार, साफ-सफाई, घाट निर्माण, पुराने तालाबों का जीर्णोद्वार, नये तालाबो का निर्माण, अमृत सरोवर का निर्माण एवं जीर्णोद्वार, स्टाप डैमो की मरम्मत एवं शटर लगाकर पानी का संरक्षण, चेक डैम, बोरी बंधान, नहरो की साफ-सफाई, कैचमेंट एरिया का क्लिरेंस, बावडी,कुओं, का जीर्णोद्वार, चेक डैम,

रिचार्ज फिट, सिंचाई जलाशयों की साफ-सफाई का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। शासन द्वारा इस अभियान की समय-सीमा 90 दिन तय की गई है। अर्थात बरसात के पूर्व सभी कार्य पूरे कर लिए जाएं। इस दौरान नल जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण तथा जल प्रबंधन के संबंध में भी आम जनमानस को जागरूक किया जाए।

अतिक्रमण कराया जाये मुक्त

जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने का कार्य भी प्राथमिकता से किया जाए। इस अवसर संभाग के तीनों जिलों कलेक्टरों द्वारा उनके जिले में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के प्रगति की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि डाक्यूमेंटेशन का कार्य भी किया जा रहा है। जिन विभागों द्वारा कार्य किया जा रहा है उन्हें कार्य प्रारंभ होने के पूर्व तथा कार्य के पश्चात के फोटो ग्राफ्स एवं वीडियों बनाने तथा जल संरचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां संकलित करने के निर्देश दिए गए है।

बैठक में कलेक्टर शहडोल डॉ. केदार सिंह, कलेक्टर उमरिया धरणेंद्र जैन, अपर कलेक्टर अनूपपुर तन्मय सहित सीईओ जिला पंचायत उपस्थित रहें।

पात्रताधारी हितग्राही को हर महीने मिले अनाजः आयुक्त

शहडोल। आयुक्त श्रीमती सुरभि गुप्ता ने संभाग के तीनों जिलो में खाद्य विभाग के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों के संचालन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी दुकाने नियमित रूप से खुले तथा पात्रताधारी परिवारों को निर्धारित मात्रा में अनाज का वितरण सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार पात्रताधारी परिवारों के ईकेवाईसी के कार्य किया जा रहा है। तीनों जिलो के खाद्य अधिकारी दैनिक लक्ष्य बनाकर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर शहडोल डॉ. केदार सिंह, कलेक्टर उमरिया धरणेंद्र जैन, अपर कलेक्टर अनूपपुर तन्मय सहित सीईओ जिला पंचायत एवं तीनों जिलो के खाद्य अधिकारी उपस्थित रहें।

जल को बचाने करना होगा सामूहिक प्रयासः कलेक्टर

जल का महत्व बताने जन-प्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने लगाई चौपाल

शहडोल। जल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए चलाया जा रहा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कलेक्टर डॉ. केदार सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियो एवं अधिकारियों की उपस्थिति में शहडोल जिले के जनपद पंचायत सोहागपुर के पड़मनिया खुर्द में लोगों को पानी की एक-एक बूंद सहजेने एवं जल का महत्व बताने के लिए जन चौपाल लगाई गई। जन चौपाल को सम्बोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जल को बचाने के लिए केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नही बल्कि हम सभी कि जिम्मेदारी है कि आने वाले पीढियों के लिए पानी का संचयन करें। उन्होंने कहा कि जल के बीना जीवन संभव नही है, जल अमूल्य है, इसे बचाने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करना होगा।

इस अवसर पर जिला पंचायत शहडोल के मुख्य कार्य पालन अधिकारी नरेंद्र धुर्वे, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुद्रिका सिंह, सरपंच श्रीमती कमलेशिया बैगा,सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग आनंद राय सिंहा, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक विवेक पांडे, उपसरपंच अनिल साहू, अनुराग निगम, जन अभियान परिषद के परामर्शदाता,जन अभियान परिषद के प्रस्फुटन समिति के सदस्य सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

आओ बचाएं जल, करें सुरक्षित कल

कलेक्टर ने रामझीरिया आश्रम जलहली धाम का किया निरीक्षण

शहडोल। आओ बचाएं जल, करें सुरक्षित कल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने शनिवार को जिले के गोहपारू जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मझौली के ग्राम कठौतिया में रामझिरिया आश्रम जलहली धाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने जलहली धाम में उपस्थित ग्रामीण से जल गंगा संवर्धन अभियान की जानकारी दी तथा जल को सहेजने एवं संवर्धन करने की अपील भी की। कलेक्टर ने लोगों से कहा कि हमें जल को व्यर्थ में नहीं बहाना है पानी को बचाना है। उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आप सब अपने आसपास की जल संरचनाओं की साफ सफाई करें एवं इस अभियान में जुडक़र अपनी सहभागिता निभाएं।

इस दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुद्रिका सिंह, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक विवेक पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहपारू वेदमणि मिश्रा, ग्राम पंचायत मझौली के सरपंच झल्लू कोल, सचिव उदय सोनी, रोजगार सहायक प्रदीप तिवारी एवं पेसा मोबिलाइजर एकता सिंह, जन अभियान परिषद के प्रस्फुटन समिति के सदस्य सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने मझौली के ग्राम पंचायत भवन का किया निरीक्षण

शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने शनिवार को गोहपारू जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मझौली के पंचायत भवन का निरीक्षण किया। पंचायत भवन के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव से पंचायत भवन निर्माण की संपूर्ण जानकारी ली। कलेक्टर ने सरपंच एवं सचिव को निर्देश दिए की पंचायत भवन के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनवाएं एवं छायादार वृक्ष भी लगाएं, जिस पंचायत भवन सुंदर एवं आकर्षक दिखे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि पंचायत भवन का शौचालय पंचायत भवन के बाहर बनाना सुनिश्चित करें। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुद्रिका सिंह, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक विवेक पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहपारू वेदमणि मिश्रा, ग्राम पंचायत मझौली के सरपंच झल्लू कोल, सचिव उदय सोनी, रोजगार सहायक प्रदीप तिवारी एवं पेसा मोबिलाइजर एकता सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

खदान अधिग्रहित भूमि से चोरी की गई यूकेलिप्टिस लकड़ी बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

राजनगर। थाना रामनगर पुलिस ने आमाडांड ओपन कास्ट परियोजना क्षेत्र में अधिग्रहित भूमि से अवैध रूप से काटे गए यूकेलिप्टिस पेड़ों की चोरी का मामला सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। 18.04.25 को सहायक सुरक्षा उप निरीक्षक संजय कुमार मिश्रा एवं सर्वे अधिकारी अजीत सिंह के साथ खदान क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जहाँ ग्राम निमहा निवासी दयाराम सिंह के घर के पास से काटे गए लगभग 15-20 यूकेलिप्टिस के टुकड़े (अनुमानित कीमत 20,000 थे। सूचना प्राप्त होने पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाना रामनगर पुलिस ने अपराध क्र 83/25 धारा 303(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की और लगातार प्रयासों के चलते मुखबिर की सूचना पर 20 अप्रैल को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की लकड़ी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार आरोपियों मे शिवकुमार केवट, पिता-सुमा केवट, उम्र 38 वर्ष, निवासी भालूमाडा तथा मानसिंह गोंड, पिता- बारेलाल, उम्र 57 वर्ष, निवासी ग्राम ऊरा है। चोरी की लकड़ी को

पिकअप वाहन क्रमांक MP 65 GA 0258 सहित जप्त कर लिया गया है ।

5 फरार जुआरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोतमा। कोयलांचल क्षेत्र में शातिर बदमाशों के द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अलग-अलग थाना क्षेत्र में जुआ फड़ का संचालन किया जाता रहा है। पुलिस के द्वारा सूचना पर दबिश देकर कार्यवाही भी की जाती है। हाल में ही रामनगर थाना अंतर्गत जंगल में सजे बड़े जुआ फड़ होने की सूचना पर थाना प्रभारी सुमित कौशिक के नेतृत्व में टीम ने जंगल में छापा मार कार्यवाही की थी जंगल एवं रास्ते में लगे मुखबिरों के कारण फड़बाज, सूदखोर एवं जुआरी जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। पुलिस ने मौके से जुआरियों की 5 दो पहिया वाहन कीमती 2 लाख एवं जुआफ़ड़ से नगदी रुपए, दरी एवं ताश के 52 पत्तों को जप्त किया था। मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश लगातार किए जाने के बाद पुलिस ने मामले में जुआ सरगना धर्मेंद्र मिश्रा 35 वर्ष पिता भास्कर मिश्रा निवासी पसान, सुधीर पटेल 35 वर्ष पिता रामस्वरूप पटेल निवासी बदरा थाना भालूमाड़ा,प यारेलाल सोनी 46 वर्ष पिता सेतलाल सोनी निवासी देवरी, तेजलाल केवट पिता सिपाही लाल केवट 30 वर्ष निवासी अमलई प्यारी एवं लोक राम चौधरी को गिरफ्तार करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 13 जुआ एक्ट का मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी सुमित कौशिक ने बताया कि मामले में आरोपी धर्मेंद्र मिश्रा उर्फ नान्हे शातिर फाड़बाज है जिसके द्वारा थाना क्षेत्र बदल बदल कर जुआ फड़ का संचालन किया जाता है। हाल में ही भालूमाडा पुलिस ने भी बाड़ीखार, बगडुमरा से लगे जंगल में चल रहे जुआफड़ में छापा मार कर आरोपी आरोपी धर्मेंद्र मिश्रा उर्फ नान्हे के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस की कार्यवाही के बाद आरोपी के द्वारा रामनगर थाना अंतर्गत आकर जंगल में जुआ का खेल खिलाया जा रहा था जहां से भी दबोचते हुए कार्यवाही की गई।

समग्र आईडी केवाईसी सत्यापन के लिए चलाया जा रहा अभियान

कोतमा। जिले के सभी नगरीय निकायों में ई केवाईसी सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। ई केवाईसी सत्यापन के लिए नगर पालिका के कर्मचारी घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य कर रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप झारिया ने बताया कि उपरोक्त कार्य हेतु नागरिकों से अपेक्षा है कि समग्र आईडी एवं परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड के माध्यम से ई केवाईसी सत्यापन का कार्य करावे एवं भविष्य में होने वाले किसी भी असुविधा से बचें, इस सत्यापन कार्य से आपका आधार का डाटा आपके समग्र आईडी में आ जाता है जिससे समग्र आईडी में जो भी त्रुटि पूर्ण नाम होते हैं उसे सुधार कर दिया जाता है। इस कार्य के लिए नगर पालिका की टीम प्रत्येक प्रत्येक वार्ड में जाकर घर-घर पहुंच रही है। नागरिकों से अपेक्षा है कि सहयोग करते हुए समग्र आईडी केवाईसी के सत्यापन का कार्य करवाने में सहयोग करें।

बडक़ा तालाब में किया गया सफाई कार्य

जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं जनमानस ने किया श्रमदान

शहडोल। जल है प्रकृति का अमूल्य उपहार बचाओ इसे, यही है जीवन का आधार जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून 2025 तक चलाया जा रहा हैजो प्रगति पर है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, समाजसेवी,पत्रकार सहित अन्य लोगों द्वारा बढ़ चढक़र सहभागिता निभाई जा रही है तथा जल के एक एक बूंद को सहेजने के लिए संदेश दिया जा रहा है। शहडोल

जिले के जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम पड़मनियां के बडक़ा तालाब में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल के एक एक बूंद को सहेजने के लिए सफाई कार्य तथा तालाब के किनारे से गाद भी निकाली गई जिसमे कलेक्टर डॉ. केदार सिंह, जिला पंचायत शहडोल के मुख्य कार्य पालन अधिकारी नरेंद्र धुर्वे, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुद्रिका सिंह, सरपंच श्रीमती कमलेशिया बैगा,सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग आनंद राय सिंहा, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक विवेक पांडे, उपसरपंच अनिल साहू, अनुराग निगम, जन अभियान परिषद के परामर्शदाता,जन अभियान परिषद के प्रस्फुटन समिति के सदस्य सहित अन्य लोगों बढ़ चढक़र सहभागिता निभाते हुए श्रमदान किया।

कलेक्टर ने तहसीलदारों के मध्य तहसीलों राजस्व निरीक्षक वृत्त का किया कार्य विभाजन

उमरिया। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने तहसीलदारों के पदस्थापना से संबंधित पूर्व में जारी समस्त आदेशो को अधिक्रमित करते हुए तहसीलदारों के मध्य तहसीलों/राजस्व निरीक्षक वृत्त का कार्य विभाजन किया है । जिसमे कन्हैयादास पनिका प्रभारी तहसीलदार वृत्त मानपुर , बिजौरी, बल्हौड़ तहसील मानपुर को प्रभारी तहसीलदार तहसील करकेली, सतीश सोनी प्रभारी तहसीलदार बांधवगढ़ को प्रभारी तहसीलदार वृत्त मानपुर, बिजौरी, बल्हौड़, दिलीप कुमार सोनी नायब तहसीलदार वृत्त भरौला तहसील बांधवगढ़ को प्रभारी तहसीलदार तहसील बांधवगढ़ एवं वृत्त भरौला, संतोष चौधरी प्रभारी नायब तहसीलदार वृत्त निगहरी , अखड़ार तहसील बिलासपुर को प्रभारी नायब तहसीलदार वृत्त पाली, बकेली, सतन कुमार सिंह प्रभारी नायब तहसीलदार वृत्त पाली, बकेली को प्रभारी तहसीलदार वृत्त इंदवार, अमरपुर तहसील मानपुर, शेषमणि शर्मा प्रभारी नायब तहसीलदार वृत्त इंदवार, अमरपुर तहसील मानपुर को प्रभारी नायब तहसीलदार वृत्त निगहरी, अखड़ार तहसील बिलासपुर शामिल है । इसी तरह अभ्यानंद शर्मा प्रभारी तहसीलदार तहसील नौरोजाबाद करकेली, को प्रभारी तहसील नौरोजाबाद, राघवेन्द्र पटेल प्रभारी तहसीलदार नजूल को प्रभारी तहसीलदार नजूल, कर्तव्य अग्रवाल प्रभारी तहसीलदार तहसील चंदिया को प्रभारी तहसीलदार तहसील बिलासपुर, आशीष शर्मा प्रभारी तहसीलदार तहसील बिलासपुर को प्रभारी तहसीलदार तहसील बिलासपुर, कौशल सिंह प्रभारी नायब तहसीलदार वृत्त कौडिया, लोढा तहसील चंदिया को वृत्त कौडिया लोढ़ा तहसील चंदिया, विनोद वर्मा प्रभारी नायब तहसीलदार वृत्त तामान्नारा तहसील बांधवगढ़ को वृत्त तामान्नारा तहसील बांधवगढ़, रणमत सिंह प्रभारी नायब तहसीलदार उप तहसील बरबसपुर , वृत्त मानपुर को प्रभारी नायब तहसीलदार उप तहसील बरबसपुर, वृत्त रायपुर, राम सिंह धुर्वे नायब तहसीलदार वृत्त कोहका , महुरा, तहसील नौरोजाबाद को नायब तहसीलदार वृत्त कोहका , महुरा तहसीलदार नौरोजाबाद, रामलाल पनिका प्रभारी नायब तहसीलदार वृत्त ताला , चिल्हारी तहसील मानपुर को वृत्त ताला, चिल्हारी तहसील मानपुर, डीलन सिंह मरावी प्रभारी तहसीलदार तहसील पाली को प्रभारी तहसीलदार तहसील पाली, आंचल अग्रवाल नायब तहसीलदार तहसील करकेली को कार्यालय तहसील करकेली तथा लक्ष्मीकांत शर्मा प्रभारी अधीक्षक भू अभिलेख को प्रभारी अधीक्षक भू अभिलेख का कार्य सौंपा गया है । यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

खबर संक्षेप

25 अप्रैल को युवा संगम रोजगार मेला का आयोजन

उमरिया। जिला रोजगार अधिकारी अंबिकेश प्रताप सिंह ने बताया कि रानीदुर्गावती सामुदायिक भवन में युवा संगम रोजगार मेला का आयोजन 25 अप्रैल को प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। मेले में एलआईसी उमरिया, रिलाएंस निप्पोन उमरिया, लियो पीथमपुर, प्रगतिशील बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड रीवा, एस एम पी एल इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल इंडस्ट्री, मॉडल वूलंस भीलवाड़ा, मोबाइल पे, वर्धमान मंडीदीप भोपाल, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, शासकीय आईटीआई उमरिया, पुखराज हेल्थ केयर प्रायवेट लिमिटेड जबलपुर तथा विनप्रेज इनफो मीडिया प्रायवेट लिमिटेड मैन पावर प्लेसमेंट सर्विस कंपनी भाग लेगी। उन्होनें कहा है कि आवेदक समस्त योग्यता प्रमाण पत्र की एक छाया प्रति एवं आधार कार्ड, समग्र आईडी , पासपोर्ट साइज की दो फोटो अनिवार्य रूप से साथ में लेकर आएं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7869880800 पर संपर्क किया जा सकता है।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नौगई में किया गया बोरी बंधान

उमरिया। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नागरिकों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए दीवार लेखन, जागरूकता रैली, पोस्टर बैनर, ग्राम सभाएं, अनेकों गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग जी एस गायकवाड़ ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नौगई में बोरी बंधान का कार्य किया गया तथा जल को संरक्षित करने का संदेश दिया गया । इस दौरान ग्रामीणों को संदेश दिया गया कि जल को संरक्षित करने के लिए प्रशासन के साथ सभी जन आगे आएं । ग्राम में स्थित नदी, नालो , तालाबों के आस पास साफ सफाई रखे । इस अवसर पर बडी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहें ।

करकेली में जल को संरक्षित करने की ली गई शपथ

उमरिया। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिला समन्वयक जन अभियान परिषद रविंद्र शुक्ला के मार्गदर्शन में करकेली में सीएमसीएलडीपी के छात्रों ने जल को संरक्षित करनें की शपथ ली । इस दौरान उन्होने पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग करनें, पानी की हर एक बूंद का संचयन करने, कैच द रेन अभियान को बढ़ावा देने में सहयोग करनें, पानी को एक अनमोल संपदा मानते हुए इसका उपयोग करने, अपने परिवारजनों, मित्रों और पड़ोसियों को पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने और उसे व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करने की शपथ ली। उन्हो ने कहा कि यह ग्रह हमारा है और हम ही इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इस अवसर पर परामर्शदाता भी उपस्थित रहे।

30 अप्रैल को आयोजित होगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह व निकाह

शहडोल। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जयसिंहनगर अशोक मरावी ने जानकारी दी है कि जनपद पंचायत जयसिंहनगर, नगरपरिषद जयसिंहनगर अन्तर्गत मुख्यमत्रीं कन्या विवाह योजना के पात्र कन्या, विधवा, परित्यक्ता का विवाह 30 अप्रैल 2025 को चूंदी नदी सिद्धबाबा मंदिर ग्राम पंचायत कतिरा में आयोजित किया।

कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक संपन्न

सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण करनें के कलेक्टर ने दिए निर्देश

उमरिया। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में समय सीमा की साप्ताहिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर व्दारा सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए डी ग्रेड में रहने वाले विभागों के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई तथा कहा गया कि शिकायतों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए शत प्रतिशत निराकरण करे। समय सीमा के पत्रों की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण किया जाए ।उन्होंने कहा कि विगत माह में जिन विभागों की उपलब्धि संतोषजनक नही रही है वे विभाग मार्च माह के अंत तक पुरानी सीएम हेल्पमलाइन की शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित कराएं । समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने मुख्यमंत्री निवास से प्राप्त आवेदनों, आयुक्त शहडोल संभाग कार्यालय से प्राप्त आवेदनो तथा जनसुनवाई, न्यायालयीन प्रकरणों, मानवाधिकार के पत्रों, फैक्ट न्यूज आदि की समीक्षा करते हुए जिला प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी दायित्वों का निर्वहन समय सीमा में अनिवार्य रूप से करें।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, एसडीएम बांधवगढ कमलेश नीरज, एसडीएम मानपुर टी आर नाग, एसडीएम पाली अंबिकेश प्रताप सिंह,डिप्टी कलेक्टर मीनांक्षी इंगले , सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे ।

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक संपन्न

उमरिया। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई । बैठक में उप संचालक खनिज विभाग फरहत जहां ने बताया कि खनिज विभाग को प्राप्त 63 करोड़ लक्ष्य के विरूध्द 76.30 करोड़ रूपये राजस्व प्राप्त हुआ है । इसी तरह ग्रामीण अवसंरचना में 11.20 करोड़ लक्ष्य के विरूध्द 11.52 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्त हुआ है । उन्होने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक दर्ज कुल 171 प्रकरणों में से 145 का निराकरण कर 71.37 लाख रूपये की वसूली की गई है । जिसमें अवैध उत्खनन के 58 प्रकरणों में से 55 प्रकरणों का निराकरण कर, 32.50 लाख रूपये की वसूली, अवैध परिवहन के 99 प्रकरणों में से 78 प्रकरणों का निराकरण कर 36.77 लाख रूपये की वसूली तथा अवैध भंडारण के 14 प्रकरणों में से 12 प्रकरणों का निराकरण कर 2.10 लाख रूपये की वसूली शामिल है । बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया, सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, एसडीएम बांधवगढ कमलेश नीरज, एसडीएम मानपुर टी आर नाग, एसडीएम पाली अंबिकेश प्रताप सिंह, डिप्टी कलेक्टर मीनांक्षी इंगले , सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे ।

शासकीय योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ जनता तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं अधिकारी कर्मचारीः कलेक्टर

कलेक्टर के मुख्य आतिथ्य में सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम संपन्न

उमरिया। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन के मुख्य आतिथ्य में कलेक्टर सभागार में सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम संपन्न हुआ । सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी शासकीय सेवक अपने विभाग अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ जनता तक पहुंचाये । विभाग तक पहुंचने वाले हितग्राहियों की समस्याओं को सुनकर उसका मौके पर निराकरण करें ताकि हितग्राहियों को अपना काम कराने के लिए बार बार कार्यालयों का चक्कर नही लगाना पड़े । उन्होने कहा कि यह सिविल सेवकों के लिए अपने कर्तव्यों पर चिंतन करने का दिन है, जो जनता की सेवा करने के उनके दायित्व को नवीनीकृत करता है।

सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने कहा कि भारत सरकार हर वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाती है। सिविल सेवकों को नागरिक सेवा के लिए खुद को फिर से संगठित करने और सार्वजनिक सेवा और कार्य में उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिबध्दाताओं को नवीनीकृत करने के लिए मनाया जाता है। यह न केवल सिविल सेवकों के कार्यों की सराहना करने का दिन है, बल्कि यह उन्हें राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावी ढंग से निभाने के लिए प्रेरित करता है। उन्होने कहा कि अधिकारी, कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियो और कर्तव्यों के साथ कार्य को अंजाम दें। कार्यक्रम में आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रषासनिक अकादमी भोपाल से प्रदेष के मुख्यमंत्री डा मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कलेक्टर सभागार में देखा एवं सुना गया। इस अवसर पर एसडीएम बांधवगढ़ कमलेश नीरज, एसडीएम मानपुर टी आर नाग, एसडीएम पाली अंबिकेश प्रताप सिंह, डिप्टी कलेक्टर मीनांक्षी इंगले, सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।

जलदूत के लिए माय भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं अधिकारी कर्मचारी : कलेक्टर

उमरिया। साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत माय भारत पोर्टल पर वॉलंटियर जलदूत के लिए पंजीयन किया जाना है । जलदूत के लिए जिले को 1900 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्होने समस्त विभाग के अधिकारियों से कहा है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माय भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी माय भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करनें के लिए निर्देशित करें ताकि दिए गये लक्ष्य की प्राप्ति हो सके ।

उन्होने बताया कि पंजीयन के लिए माय भारत पोर्टल की लिंक पर क्लिक करें जिसके बाद नाम, मोबाइल नंबर एवं अन्य आवश्यक जानकारी भरें। सबमिट बटन पर क्लिक करें और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें । पंजीयन पश्चात एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा । उन्होने कहा कि जल संरक्षण और जल गंगा संवर्धन अभियान में योगदान दें।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, एसडीएम बांधवगढ कमलेश नीरज, एसडीएम मानपुर टी आर नाग, एसडीएम पाली अंबिकेश प्रताप सिंह, डिप्टी कलेक्टर मीनांक्षी इंगले , सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे ।

पड़ोसी कर रहे परेशानः महिला ने संभागायुक्त से की शिकायत

शहडोल। जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबी 24, ब्रम्ह कालोनी निवासी आकृति राजपूत द्वारा संभागायुक्त को शिकायत देते हुए बताया कि मेरे द्वारा पहले भी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी और 16 अप्रैल को मुझे व मेरी माताजी श्रीमती बीना राजपूत (बेवा) एवं मेरे छोटे भाई गौरव राजपूत के साथ घर के पीछे वाले पड़ोसी विकास जायसवाल, विवेक जायसवाल एवं उनके परिवार आपत्तिजनक गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं विकास जायसवाल द्वारा मुझ पर चरित्रहीन होने का आरोप भी लगाया गया, जिसकी शिकायत मैंने थाना सोहागपुर में एनसीआर के माध्यम से कराई, जिस पर 155 के तहत कार्यवाही की गई थी। आरोपीगणों द्वारा आयेदिन किसी न किसी बात को लेकर मेरे व मेरे परिवारजनों के साथ लड़ाई-झगड़ा की जाती है। 17 अप्रैल को विकास जायसवाल एवं विवेक जायसवाल द्वारा अपने मित्र मण्डली द्वारा मुझे और मेरे परिवार को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसका मैं और मेरा परिवार सामना नहीं कर पा रहे हैं। हमें एक सभ्य और संपन्न परिवार से है। यह विवाद मेरे घर के पीछे वाले रास्ते को लेकर है, जो कि 15 फिट की शासकीय सडक कालोनी द्वारा दी गई है, उसी सडक में विकास जायसवाल, विवेक जायसवाल एवं उसकी माँ पंकजनी जायसवाल एवं विकास की पत्नी सुधा जायसवाल द्वारा उस सडक को हथियाने और उसमें दो कमरे का मकान निर्माण कराने की फिराक में है, जो कि एक बाउण्ड्रीवाल से रोड को बंद कर दिया गया है। चूंकि मैं और मेरी माता हम दोनों घर पर अकेले ही निवास करते हैं, जिस कारण हमें भय बना रहता है कि उक्त लोग हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घटित न करें। मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो, उसके जिम्मेदार विकास जायसवाल, विवेक जायसवाल एवं उसके परिवार वाले होंगे। पीड़ित परिवार ने पुलिस सुरक्षा दिलाये जाने की मांग की है, साथ ही कहा कि कालोनी में मेरा घर सबसे आखिरी में है और उक्त लोग आयेदिन 10-15 लोगों के साथ मेरे घर के पास 4-4 घंटे खड़े रहते हैं। पीड़ित महिला ने कार्यवाही के साथ परिवार की जान-माल की रक्षा की मांग की है।

हाई रिस्क के बावजूद प्रसव के लिए प्रसूता को किया रेफर

मेडिकल कालेज में भटते रहे परिजन, हंगामे के बाद हुआ प्रसव

शहडोल। मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए जिला अस्पताल की क्षमता में भले ही इजाफा किया जाता हो लेकिन मूल समस्या आज भी जहां की तहां ही है। खास तौर पर उन गंभीर मामलों में जिनमें कि आपरेशन की जरूरत पड़ती है। चार सौ बिस्तरा इस अस्पताल में रिफरल मरीजों का भी तांता लगा रहता है, लेकिन न तो आपरेशन की समुचित व्यवस्था है और न बेहोशी के पर्याप्त डाक्टर उपलब्ध हैं। लिहाजा अस्पताल में ऐसे गंभीर मरीजों को भर्ती करने की बजाय उन्हे मेडिकल कॉलेज का रास्ता दिखाना अधिक सहज माना जाता है। हाल ही में इसी तरह का एक मामला जिला अस्पताल में हुआ जिसके कारण अस्पताल में एक बार फिर हंगामें की स्थिति निर्मित हो गई। मामला उमरिया जिले के मानपुर की रहने वाली प्रसूता रूपाली केवट को परिजन लेकर सोमवार की रात 2 बजे जिला अस्पताल शहडोल लाए थे। लेकिन उसे भर्ती करने की बजाय रिफर करने का प्रयास किया गया था।

एनेस्थीसिया डाक्टर नहीं हैं

दर्द से तड़प रही प्रसूता को जिला अस्पताल में भर्ती करने की बजाय ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। इस पर उसके परिजनों ने विरोध किया, ड्यूटी डॉक्टर ने कहा कि एनेस्थीसिया डॉक्टर न होने की वजह से यहां ऑपरेशन नहीं हो सकता है। इसके बाद काफी हंगामा हुआ। अधिकारियों के

हस्तक्षेप के बाद फिर प्रसूता का जिला अस्पताल में ही सुरक्षित ऑपरेशन किया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि प्रसूता हाई रिस्क होने की वजह से मानपुर के डॉक्टरों ने महिला को रेफर किया था। परिजनों को उसे उमरिया जिला अस्पताल ले जाना था, लेकिन उसे शहडोल जिला अस्पताल लेकर आ गए थे चूंकि मामला रिस्की था इसलिए उसे मेडिकल कालेज भेजा जा रहा था।

मेडिकल कॉलेज का गेट बंद

परिजनों ने बताया कि जिला अस्पताल के गायनिक विभाग में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर पूर्वी श्रीवास्तव से उनकी मुलाकात हुई। ड्यूटी डॉक्टर पूर्वी श्रीवास्तव ने यह कहा कि मैं सर्जन नहीं हूं। मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती। आप मरीज को कहीं और ले जाइए। परिजनों ने कहा कि यह संभागीय मुख्यालय का जिला अस्पताल है, मरीज को हम इतनी रात में कहां लेकर जाएं। जिसे ड्यूटी डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के गायनी विभाग मरीज को लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां गेट बंद था। काफी आवाज देने के बाद भी किसी ने गेट नहीं खोला। इसके बाद वह पुनः जिला अस्पताल प्रसूता को लेकर पहुंच गए। वहीं मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉक्टर नागेंद्र सिंह का कहना है कि परिजनों का आरोप निराधार हैं। गायनी विभाग का गेट बंद नहीं था, परिजन शायद आए ही नहीं होंगे, मैं सीसीटीवी में दिखाता हूं, अगर ऐसा हुआ होगा तो, हम कार्रवाई करेंगे।

जिला अस्पताल में लोड अधिक

सिविल सर्जन ने बताया कि जिला अस्पताल में 24 घंटे में 15 से अधिक ऑपरेशन होते हैं। जिला अस्पताल में एनेस्थीसिया डॉक्टरों की कमी है, यहां एक ही डॉ मनोज जायसवाल हैं। मेडिकल कॉलेज में भी एक ही एनेस्थीसिया डॉक्टर होने की वजह से जिला अस्पताल में लोड अधिक रहता है। जिला अस्पताल में उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी जिले के मरीज आते हैं। जिसकी वजह से रात में कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मरीजों को परेशानी ना हो। मानपुर से रेफर आई महिला के परिजन और ड्यूटी डॉक्टर के बीच कुछ बहस हुई थी, लेकिन जब मुझे जानकारी मिली तो, मैनें प्रसूता महिला का जिला अस्पताल में ही ऑपरेशन करवाया है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

खबर संक्षेप

मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की अनूपपुर में संगठनात्मक बैठक आज

अनूपपुर। श्रमजीवी पत्रकार संघ अनूपपुर जिला इकाई एवं शहडोल संभागीय कार्यकारिणी की प्रथम बैठक आज अनूपपुर में आयोजित की जा रही है। बैठक में अनूपपुर, शहडोल और उमरिया जिले के पदाधिकारी एवं पत्रकार गण शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहडोल संभाग में निवासरत प्रदेश कार्यकारिणी के नवनियुक्त पदाधिकारियों मो.अली संगठन प्रभारी एवं प्रांताध्यक्ष से सम्बद्ध, मनोज द्विवेदी प्रदेश उपाध्यक्ष, मेहदी हसन प्रदेश सचिव, कौशल बाबा पाठक प्रदेश संयुक्त सचिव, नीरज सिंह प्रदेश विज्ञापन प्रभारी, दिनेश अग्रवाल प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं संभागीय पदाधिकारियों, तीनों जिलों के अध्यक्ष एवं महासचिव की विशेष उपस्थिति में आगामी 22 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से धनश्री पैलेस, शंकर मंदिर चौक, अनूपपुर में आयोजित की जा रही है। इस संगठनात्मक बैठक में संगठन के विस्तार, मजबूती और पत्रकार हितों के तय बिन्दुओं पर आवश्यक चर्चा होगी। अनूपपुर जिले के सभी श्रमजीवी पत्रकारों और शहडोल, उमरिया जिले के पदाधिकारियो से विशेष अनुरोध किया गया है कि कृपया तय समय पर इस महत्वपूर्ण बैठक में अवश्य शामिल हों।

वृद्धा एवं युवक की ट्रेन की टक्कर से मौत

अनूपपुर। रविवार एवं सोमवार की मध्य रात्रि कोतवाली थाना अनूपपुर के दो अलग-अलग स्थानो में अज्ञात कारणों से वृद्धा एवं अज्ञात युवक की ट्रेन की ठोकर से मौत की घटना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच करने में जुटी हुई है। घटना के संबंध बताया गया कि कोतवाली थाना अनूपपुर अंतर्गत में सोन नदी के आगे सीतापुर/बरबसपुर में वनविभाग के कार्यालय के समीप 62 वर्षीय वृद्धा उषादेवी पति स्व.नीपेंद्र कुमार नापित जो ग्राम सीतापुर में परिवार के साथ रह रही थी जिसका शव मुख्य मार्ग के किनारे सोमवार की सुबह कुछ लोगों द्वारा देखे जाने पर कोतवाली थाना अनूपपुर को सूचना दिए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतिका के शव का पंचनामा कर जिला अस्पताल में ला कर डॉक्टर टीम से पीएम की कार्यवाही की है तथा वृद्धा की मौत का कारण की जांच की जा रही है, वही बिलासपुर-अनूपपुर के तीसरी रेल लाईन में सोमवार की सुबह एक अज्ञात युवक जो उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष की अज्ञात ट्रेन या मालगाड़ी से ठोकर लगने के कारण स्थल पर ही मृत स्थिति में पड़े होने की सूचना स्टेशन मास्टर अनूपपुर द्वारा कोतवाली पुलिस को दिए जाने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मृतक के शव का पंचनामा कर उसकी पहचान किए जाने का प्रयास कर रही है। मृतक के शव को सुरक्षा के तौर पर जिला चिकित्सालय अनूपपुर के शव परीक्षण कक्ष में सुरक्षित रखा गया है।

वैशाख अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व

अनूपपुर/कोतमा। वैशाख अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह तिथि पितरों की शांति और दान-पुण्य के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और जरूरतमंदों को दान करने से बहुत लाभ मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। अमावस्या तिथि पूरे दिन ही धार्मिक कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है, लेकिन कुछ विशेष मुहूर्त स्नान और दान के लिए और बहुत शुभ माने जाते हैं। अनुपपुर जिले की पवित्र नगरी अमरकंटक में मां नर्मदा उदगम स्थल तिपान सोन कोयलांचल क्षेत्र के केवई नदी मे आमावस्या तिथि को लोग बड़ी संख्या मे स्नान करते हुए दान पुण्य करेंगे। पंडित अमन पाण्डेय ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 10 मिनट से सुबह 4 बजकर 52 मिनट तक रहेगा। फिर अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से दोपहर 1 बजकर 02 मिनट तक रहेगा। इस दौरान स्नान-दान करना बहुत शुभ माना जाता है।

शुभ मुहूर्त में स्नान और दान, होंगे चमत्कारी लाभ- पंडित अमन पाण्डेय ने बताया कि वैशाख अमावस्या स्नान और दान जैसे धार्मिक कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन शुभ मुहूर्त में किए गए ये काम न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं बल्कि इससे जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इस दिन स्नान-दान जरूर करें। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है। इस बार वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। वैशाख अमावस्या के दिन पवित्र नदियों जैसे - गंगा या यमुना में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।

फालोअप

मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अनूपपुर कलेक्टर को प्रस्तुत की रिपोर्ट

नियमों को धता बता संचालित सेंट जोसेफ स्कूल की खुली 'पोल'

निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को लेकर कार्यवाही के दिये निर्देश

मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग भोपाल द्वारा जारी (दौरा कार्यक्रम) के तारतम्य में 29 मार्च को अनूपपुर में विभागीय अधिकारियों/स्टेक होल्डर के साथ समन्वय/समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागृह में की गई एवं बैठक उपरान्त जिले के विकासखण्ड-बिजुरी के भ्रमण के समय क्षेत्र में संचालित अशासकीय विद्यालय-सेंट जोसेफ मिशन स्कूल का निरीक्षण कर स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्थाओं, शैक्षणिक गुणवत्ता, बाल अधिकारों का अनुपालन एवं बच्चों के अधिकारों की स्थिति का मूल्यांकन कर संबंधित संस्थान की पारदर्शिता का विशलेषण किया गया।

हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
Jabalpur Virat Bhoomi.pdf - 03 Apr 2025 - Page-4

बाल अधिकार संरक्षण की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाई अनियमितताएं कीजे

मांस-मछलियों से भरा मिला सेंट जोसेफ स्कूल के छात्रावास का फ्रीज

शिक्षा के पवित्र मंदिर में अवैध गतिविधि

अनूपपुर। विभाग के निदेशों के बाद संचालन मंत्रालय में संचालित अशासकीय छात्रावास एवं स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंची बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने अनियमितता पाई। जिसमें छात्रावास में रखे खाद्य सामग्री में मांस-मछलियां मिली। इसके अलावा छात्रावास में रसोई घर में गंदगी का आलम था। इसके अलावा छात्रावास में रसोई घर में गंदगी का आलम था। इसके अलावा छात्रावास में रसोई घर में गंदगी का आलम था।

अनाधिकृत परिसर की नहीं अनुमति

फ्रिज में मिले मांस के टुकड़े

भुगतान काफला है

निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई उसको लेकर आयोग के द्वारा अनूपपुर की कलेक्टर को 17 अप्रैल को पत्र क्रमांक 1230 के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं, अब देखना होगा कि नियम कानून को धता बताकर मनमाने तरीके से चल रहे स्कूल पर जिला प्रशासन कैसा रूख अख्तियार करता है।

सेंट जोसेफ स्कूल, सी.बी.एस.ई से मान्यता प्राप्त है, परन्तु स्कूल को राजकीय शिक्षा केन्द्र से आवासीय स्कूल की मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन निरीक्षण के समय स्कूल में छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास का संचालित होना पाया गया। स्कूल प्रबंधन द्वारा सी.बी.एस.ई. बोर्ड को गुमराह करते हुए यह जानकारी दी गई है कि उनके स्कूल को आवासीय स्कूल की मान्यता प्राप्त है। स्कूल परिसर में संचालित बालक छात्रावास में 40 बालक एवं बालिका छात्रावास में 20 बालिकाएँ उपस्थित पायी गई, इसके अतिरिक्त छात्रावास में अन्य बालक-बालिकाएँ भी निवासरत है, जो निरीक्षण के समय अपने घर गये हुए थे। स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रावास में रहने वाले कुल बालक-बालिकाओं की संख्या से आयोग को अवगत नही कराया गया ।

मोटी रकम की नहीं दी जाती कोई रसीद

छात्रावास में निवासरत बालक-बालिकाओं से बातचीत करने पर ज्ञात हुआ कि छात्रों से लगभग सत्तर हजार से एक लाख बीस हजार तक की वार्षिक राशि छात्रावास शुल्क के रूप में ली जाती है, लेकिन इसकी किसी भी प्रकार की रसीद स्कूल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई। स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रावास में निवासरत बालक-बालिकाओं के प्रवेश संबंधी एवं उनके पहचान संबंधी दस्तावेज़ उपलब्ध नही कराये गये। स्कूल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये फीस-स्ट्रक्चर में छात्रावास शुल्क का उल्लेख नही किया गया है साथ ही स्कूल की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में भी छात्रावास शुक्ल का उल्लेख नही किया गया है। स्कूल प्रबंधन द्वारा वर्ष 1998 से वर्ष 2025 तक के छात्रावास में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की जानकारी, छात्रों द्वारा भुगतान की गई छात्रावास शुल्क की राशि एवं इस राशि को व्यय किये जाने के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नही करायी गई।

मिला कई प्रकार का मांस

स्कूल द्वारा संचालित किये जा रहे छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी प्रबंधन द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई ।स्कूल की मान्यता आवेदन के प्रारूप-1 में भी छात्रावास से संबंधित मदों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रावास में निवासरत छात्रों से प्राप्त की जाने वाली राशि को छात्रों के हित में व्यय ना करते हुए किसी अन्य कार्य में उपयोग किया गया, जो स्कूल द्वारा सी.बी.एस.ई को दिए गए शपथ-पत्र में उल्लेखित कंडिका का उल्लंघन है। स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रावास में निवासरत छात्र-छात्राओं हेतु भोजन व्यवस्था सहःशुल्क की जाती है। स्कूल में अधिकांश छात्र शाकाहारी है परन्तु निरीक्षण के समय यह पाया गया कि खाद्य साम्रगी भण्डार हेतु किचन के फ्रिज में विविध प्रकार का मांस पाया गया, यह शाकाहारी छात्रों के हित में उचित नहीं है। छात्रावास में छात्रों हेतु स्थापित कक्ष में उनके अध्ययन हेतु पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं है वही स्कूल में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ का पुलिस वेरीफिकेशन नही कराया गया है।

कोयला खदान पर संचालित विद्यालय

स्कूल का संपूर्ण भवन कोयले की खदान पर निर्मित है, जिस संबंध में एस.ई.सी.एल. लिमि. द्वारा स्कूल प्रबंधन को उक्त परिसर खाली कराने के संबंध में नोटिस भी जारी किया गया है। इस प्रकार की भूमि पर भवन का निर्माण बच्चों की सुरक्षा के संबंध में उचित नहीं है। स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट फेसीलिटी अन्तर्गत वाहन का संचालन भी किया जाता है। वाहन चालकों/परिचालकों की जानकारी एवं पुलिस वेरीफिकेशन उपलब्ध नहीं कराये गये। स्कूल प्रबंधन द्वारा आर.टी.ई. अन्तर्गत अध्ययनरत छात्रों की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई।

बच्चों की सुरक्षा पर खतरा

विद्यालय का निर्माण कोयला खदान क्षेत्र में किया गया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित है। इस विषय में प्रशासन एवं खनन विभाग द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए। शाकाहारी छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन छात्रावास में मांसाहारी खाद्य सामग्री का भंडारण, जबकि अधिकांश छात्र शाकाहारी हैं, यह अनुचित है। भोजन व्यवस्था में छात्रों की पसंद और धार्मिक संवेदनशील भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित किया जाए ।कर्मचारियों का पुलिस वेरीफिकेशन एवं हॉस्टल स्टाफ का अनिवार्य रूप से विद्यालय एवं छात्रावास में कार्यरत समस्त कर्मचारियों, विशेषकर ड्राइवर पुलिस सत्यापन कराया जाए।

आयोग ने दिए कार्यवाही के निर्देश

निरीक्षण के उपरांत मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अनूपपुर कलेक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कार्यवाही योग निर्देश जारी करते हुए कहा कि विद्यालय की मान्यता की समीक्षा की गई। चूँकि विद्यालय द्वारा आवासीय विद्यालय के रूप में संचालन किया जा रहा है, किंतु उसके लिए आवश्यक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः सी.बी.एस.ई. एवं राज्य शिक्षा केन्द्र (शिक्षा विभाग) द्वारा तत्काल विद्यालय की मान्यता की समीक्षा की जानी चाहिए। छात्रावास संचालन पर रोक जब तक छात्रावास हेतु वैधानिक अनुमति, समुचित आधारभूत संरचना, रिकॉर्ड एवं सुरक्षा मानकों की पुष्टि नहीं होती, तब तक छात्रावास संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए वही छात्रावास शुल्क की वसूली बिना रसीद एवं ऑडिट रिपोर्ट में उसके उल्लेख के बिना किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इस विषय में संबंधित विभाग द्वारा विस्तृत ऑडिट एवं जांच की जाए।

आरटीई के प्रावधानों की भी अनदेखी

विद्यालय द्वारा आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत अध्ययनरत छात्रों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराना चिंताजनक है। शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जाए कि वह इस संबंध में विस्तृत जानकारी संकलित कर आवश्यक कार्यवाही करे।सम्बंधित विभागों की समन्वित जाँचः महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग तथा बाल कल्याण समिति द्वारा समन्वित रूप से एक उच्चस्तरीय जाँच कर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। विगत वर्षों में शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विद्यालय में समय-समय पर किए गए निरीक्षणों की प्रतिवेदनों की समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बिना आवश्यक अनुमति के छात्रावास संचालन जैसी गंभीर अनियमितता को कैसे अनदेखा किया गया। यदि उक्त निरीक्षणों में छात्रावास की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई हो, तो यह प्रशासनिक लापरवाही मानी जानी चाहिए एवं संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की जावे। आयोग द्वारा उपरोक्त तमाम बिंदुओं को लेकर अनूपपुर कलेक्टर को कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं अब देखना यह होगा सेंट जोसेफ स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध जिला प्रशासन क्या निर्णय लेता है।

पत्रकारिता के मूल्यों और हितों के लिए श्रमजीवी पत्रकार परिषद संगठन की नई पहल

उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए सत्यमेव जयते सम्मान समारोह का होगा आयोजन

अनूपपुर। राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद संगठन शहडोल संभाग (उमरिया, शहडोल, अनूपपुर) के समस्त पत्रकारों के हितों, सुरक्षा, सम्मान और उन्नति को ध्यान में रखते हुए संगठन एक नई कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ रहा है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसकी मजबूती तभी संभव है जब इसके स्तंभ को संभालने वाले पत्रकारों को संरक्षण, प्रशिक्षण और अवसर मिलें। श्रमजीवी पत्रकार परिषद संभाग शहडोल के संभागीय संरक्षक मंडल के अध्यक्ष कैलाश पाण्डेय ने बताया कि पत्रकार सुरक्षा और सम्मान हेतु प्रयास, संभाग में पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू कराने हेतु प्रशासनिक स्तर पर ज्ञापन, धमकी या दबाव में आने वाले पत्रकारों के लिए लीगल सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना, पारदर्शी और निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा केवल तथ्य आधारित और स्रोत प्रमाणिक समाचार को प्राथमिकता देना, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, हर जिले में महीने में एक बार मीडिया कौशल, डिजिटल रिपोर्टिंग, वीडियो एडिटिंग, साइबर लॉ, आरटीआई का उपयोग जैसे विषयों पर सेमिनार/वर्कशॉप, वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकारों द्वारा मेंटोरशिप प्रोग्राम, पुनर्नियुक्ति, सम्मान और सहायता कार्यक्रम, वरिष्ठ पत्रकारों के लिए समान्य योगदान योजना, आकस्मिक स्थितियों में आर्थिक सहायता हेतु पत्रकार सहायता कोष, पदाधिकारी एवं सदस्य गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना है। उन्होंने बताया कि परिषद के समस्तो पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा आदर्श आचरण बनाए रखें। किसी भी संगठन का प्रतिनिधित्व करते समय वाणी, आचरण और ड्रेस कोड को मर्यादित रखे, भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग से दूरी बनाये, संगठन का कोई सदस्य अवैध वसूली या असत्य खबरों के प्रसारण में संलिप्त न हो, निष्पक्ष रिपोर्टिंग के समय समाचार का स्रोत प्रामाणिक हो, भ्रामक या भड़काऊ सामग्री से बचें। संगठन की एकता बनाए रखें, आपसी मतभेदों को मीडिया में नहीं, संगठनात्मक बैठक में रखें। स्पर्धा नहीं, सहयोग की भावना दूसरे पत्रकारों को विरोधी नहीं बल्कि पत्रकारिता के सहयोगी मानें। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाएं आपदा, चुनाव, जनहित मामलों में निष्पक्ष रिपोर्टिंग करें।हमारे आगामी कार्यक्रम संवाद से समृद्धि, संवाद श्रृंखला जिसमें पत्रकार, प्रशासन और समाजसेवी एक मंच पर आएंगे। जहां सत्यमेव जयते सम्मान समारोह 2025 उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए संभाग स्तरीय पुरस्कार वितरण, पत्रकार मान्यता एवं प्रेस कार्ड वितरण शिविर संबंधित जिला प्रशासन से समन्वय कर शीघ्र आयोजन किया जायेगा। यह केवल संगठन का नहीं, बल्कि हर पत्रकार का मिशन है। पत्रकारिता न केवल खबर देना है, बल्कि समाज को नई दिशा देना भी है। इसलिए राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के साथियों से निवेदन है कि वे इस मिशन में सहभागी बनें, एकजुट रहें और एक अनुशासित, सक्रिय और सत्यनिष्ठ पत्रकार बनकर समाज का निर्माण करें।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हिंदुस्तान पावर का एक और महत्वपूर्ण कदम

200 सिलाई मशीनों का किया निःशुल्क वितरण

अनूपपुर।

हिंदुस्तान पावर के सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) विभाग द्वारा स्थानीय महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने की दिशा में एक और सराहनीय पहल की गई। कंपनी द्वारा करीब 300 स्थानीय महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण दिलाया गया, प्रशिक्षण के सफल आयोजन उपरांत, विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, आयोजन में विभाग ने करीब 200 प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए और साथ ही सभी महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीनें वितरित की गईं। यह कार्यक्रम कंपनी के परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में अतिथियो के रूप में उपस्थित ग्राम पंचायत झाईताल की सरपंच श्रीमति विद्या सिंह गोंड, ग्राम पंचायत टकहौली के सरपंच राजकुमार सिंह, ग्राम पंचायत क्योटार के उपसरपंच अमर सिंह राठौर की उपस्थिति रही तथा कंपनी प्रबंधन

की ओर से कंपनी के एच आर-एडमिन प्रमुख आर के खटाना, सीएसआर प्रमुख सत्यम सलील, सुरक्षा प्रमुख अरविन्द सिंह तथा जनसंपर्क अधिकारी गौरव पाठक ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान ग्राम अमगंवा की स्थानीय महिला श्रीमती रोशनी बाई ने बताया कि कंपनी द्वारा चलाई गई इस पहल की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, यह पहल हमें आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रेरित करती है, आज हम महिलाएं जो पहले सिलाई के हर छोटे-छोटे कामों के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था जिसमें हमारा समय और पैसा दोनों खर्च होता था, आज हम इन कार्यों को स्वयं कर पा रहे है, इस पहल के लिए हम समस्त महिलाएं, कंपनी प्रबंधन का आभार प्रकट करते हैं। ग्राम पंचायत झाईताल की सरपंच महोदया श्रीमती विद्या सिंह गोंड ने इस कार्य को महिला सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, ग्राम पंचायत टकहोली के सरपंच राजकुमार सिंह ने इस पहल की सराहना की, ग्राम पंचायत क्योंटार के उपसरपंच अमर सिंह राठौर ने कहा कि कंपनी का सी एस आर विभाग स्थानीय विकास के क्षेत्र में आवश्यक कार्य कर रहा है, प्रशिक्षण उपरांत इतनी मात्रा में निशुल्क सिलाई मशीनों का वितरण हाल ही का एक उदाहरण है, मैं इस वितरण के लिए कंपनी प्रबंधन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और मेरी क्षेत्र की महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूं। एच आर और एडमिन प्रमुख आर के खटाना ने अपने उद्बोधन में कहा, "यह पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर जीवन जीने की प्रेरणा भी देगी। हमारी कोशिश है कि प्रत्येक महिला अपने हुनर के माध्यम से सम्मानजनक जीवनयापन कर सके।" कार्यक्रम में जीसा इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मेहुल चौहान और प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर प्रभजोत कौर उपस्थित रहे, और उनके द्वारा महिलाओं को अपने अनुभव सांझा किए गये, उन्होंने कंपनी के द्वारा स्थानीय महिलाओं के लिए किए गए सहयोग की विशेष सराहना की।कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षित महिलाओं ने अपने-अपने अनुभव साझा किए और हिंदुस्तान पावर का आभार प्रकट किया और बताया कि कंपनी का यह प्रयास स्थानीय विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हाथियों के ताण्डव से त्रस्त हुये ग्रामीण, लगातार धमाचौकडी से परेशान लोग

अनूपपुर।

तीन हाथियों का समूह विगत तीन रातो के मध्य सात मकानो एवं ग्रामीणों के खेतों में लगी विभिन्न तरह के फसलो को अपना आहार बनाते हुए सोमवार की सुबह राजेंद्रग्राम के पिपरहा के जंगल में पहुंचकर दिन मे विश्राम कर रहे हैं। एक माह से अधिक समय से तीन नर हाथी अनूपपुर जिले के अनूपपुर एवं जैतहरी तहसील के ग्रामीण अंचलों में विचरण करने बाद सोमवार की सुबह राजेंद्रग्राम वन परिक्षेत्र एवं थाना के पिपरहा गांव से लगे जंगल में पहुंचकर विश्राम कर रहे हैं, हाथियों द्वारा तीन रातो के मध्य सात ग्रामीणों के मकान में तोड़फोड़ कर ग्रामीणों के खेतों में लगे विभिन्न तरह के अनाजों को अपना आहार बनाया है तीनों हाथी शनीवार के दिन वन परिक्षेत्र, थाना एवं तहसील अनूपपुर के ग्राम पंचायत औढेरा अंतर्गत किरर के जंगल में दिन में ठहर कर रात होने पर शहडोल -अमरकंटक मुख्य मार्ग को किरर गांव मे दो-तीन बार पार करते हुए किरर गांव में मंगल पिता रूप सिंह, सोहन पिता चिप्पू यादव, मुन्ना पिता कुंवर सिंह, गनपत पिता संभ्हर सिंह के घरों में अचानक पहुंचकर हमला बोलते हुए तोड़फोड़ कर घर के अंदर रखे विभिन्न तरह के अनाजों को तथा मोहन यादव एवं गनपत सिंह के बांड़ी में लगे केला को खाते हुए

रविवार के पूरे दिन किरर एवं बडहर के मध्य स्थित जंगल में विश्राम करते रहे जो देर शाम जंगल से निकल कर बडहर गांव के विभिन्न टोला, मोहल्ला में विचरण करते हुए राकेश्वर पिता कुन्नू सिंह के खेत में लगे विभिन्न तरह की फसल एवं सब्जी को आहार बनाकर देर रात बड़हर के जंगल पहाड़ से चढ़ कर राजेंद्रग्राम वन परिक्षेत्र एवं थाना, तहसील की सीमा के ग्राम दुधमनिया के महुआटोला में पहुंचकर तिनरिहा पिता बुद्धू सिंह, बिहारी पिता बुद्धू सिंह एवं मैकू पिता लामू सिंह के घरों मे पहुंचकर घरों को तोड़ते हुए घर के अंदर रखे एवं बांड़ी में लगे विभिन्न तरह की फसलों को आहार बनाते हुए सोमवार की सुबह वन परिक्षेत्र राजेंद्रग्राम के लेढरा बीट अंतर्गत जंगल जो ग्राम पिपरहा से लगा हुआ है जहां पहुंचकर दिन में विश्राम कर रहे हैं। शनिवार की रात ग्राम किरर निवासी गनपत सिंह के घर में अचानक पहुंचे तीनों हाथियों के घर को घेर लेने पर घर के अंदर तीन सदस्य फंसे रहे जिन्हें वनविभाग के गश्ती दल द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया वही ग्राम दुधमनिया के महुआटोला निवासी बिहारी सिंह के घर में अचानक तीनों हाथियों के पहुंच जाने पर परिवार के सदस्य भाग कर अपनी जान बचा सके, जिला प्रशासन एवं वनविभाग के पटवारी एवं वनरक्षक हाथियों द्वारा किए गए ग्रामीणों के विभिन्न तरह के नुकसान पर स्थल पर पहुंचकर तत्काल मुआवजा प्रकरण तैयार कर रहे हैं।